प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
रामपुर।

सेवा में,

प्रबन्धक,
गुरूनानक एकेडमी
खाताकलां, मिलक, रामपुर।

पत्रांकः जू0हा0स्कूल0मा0(अंग्रेजी माध्यम)/ 425 /2021-22 दिनांकः 17.05.21

विषयः अशासकीय कक्षा 6 से 8 (उच्च प्राथमिक स्तर) तक की अंग्रजी माध्यम के विद्यालय की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपको मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 22-03-2021 द्वारा शासनादेश संख्या-89/ अरसठ- 3-2018-2041/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 11 जनवरी 2019 एवं शासनादेश संख्या-196/अरसठ-3-2020-2041/ 2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 29 जून 2020 (यथा संशोधित) के प्राविधानों के अर्न्तगत लिये गये निर्णय के अनुसार विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम की कक्षा 6 से 8 तक की मान्यता नियमावली मे उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता एक वर्ष के लिए दी जाती है। इस अवधि में मान्यता की शर्तों / नियमो का पुनः परीक्षण किया जायेगा और आर0टी0ई0 के अनुसार विद्यालय चलते रहने पर विद्यालय को एक वर्ष के पश्चात् स्थायी मान्यता प्रदान करने की कार्यवाही की जायेगी। मान्यता निम्न प्रतिबन्धो/शर्तों के साथ प्रदान की जाती है::-

1. कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के शिक्षण के लिए उ0प्र0 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली -2011 की धारा-6 के प्रस्तर-15 में प्रदत्त व्यवस्थानुसार अर्हताधारी अध्यापक /अध्यापिकाउपलब्ध होना आवश्यक है। यह भी ध्यान रखा जायेगा कि उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए कम से कमप्रति कक्षा-कक्ष हेतु विज्ञान और गणित, सामाजिक अध्ययन भाषा से संबंधित शिक्षक उपलब्ध हों. इसकेअतिरिक्त बाल शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा तथा कार्यानुभव शिक्षण हेतु भी एक-एक शिक्षकउपलब्ध होना चाहिए।
2. विद्यालय के कर्मचारियों के लिये प्रबन्धिकरण द्वारा सेवा नियमावली बनाकर प्रस्तुत की जायेगी, जिसमे नियुक्ति का प्रकार, परिवीक्षाकाल, स्थाईकरण तथा दण्ड के सम्बन्ध मे संविधान एंव विधि सम्मत प्रकियाका स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक है। सेवा नियमावली में अवकाश, पेंशन, ग्रेच्यूटी, बीना, पी०एफ०तथा अन्य कर्मचारी कल्याणकारी योजनाओं का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।
3. विद्यालय किसी भी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह अथवा एसोसियेशन को लाभ पहुंचाने के लिए संचालित नहीं किया जायेगा।
4. भारत के संविधान में प्राविधानित राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय ध्वज व सर्वधर्म समभाव तथा मानवीय मूल्यों की संप्राप्ति के लिए प्राविधान समितियों तथा समय-समय पर निर्गत शासन के आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
5. विद्यलाय भवन परिसर अथवा मैदान को किसी राजनैतिक अथवा गैर शैक्षिक किया-कलापों के प्रयोग मे भी नही लिया जायेगा। विद्यालय भवन का वाह्य रंग सफेद होना चाहिए और अधिकतम दो वर्ष मे विद्यालय भवन में रंग-रोगन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी।
6. विद्यालय की किसी सरकारी अधिकारी अथवा स्थानीय शिक्षा अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा।
7. बेसिक शिक्षा विभाग के जनपदीय/मण्डलीय/राज्य स्तरीय अधिकारी अथवा अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी विद्यालय से सूचना मागें जाने पर आवश्यक आख्या एवं सूचनायें निर्देशानुसार उपलब्ध करायी जायेगी तथा निर्देशो का पालन विद्यालयों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
8. विद्यालय भवन को अग्र भाग पर विद्यालय का नाम मान्यता का वर्ष विद्यालय कोड एव मान्यता प्रदान करने वाली संस्था/निकाय का प्रतीक चिन्ह (Logo) एवं नाम सुस्पष्ट रूप से अंकित किया जानाअनिवार्य है।
9. विद्यालय द्वारा पंजीकरण शुल्क, स्कूल भवन शुल्क तथा कैपिटेशन के रूप मे कोई फीस विद्यार्थियो से लेना

वर्जित है। विद्यालय मे स्वच्छ पानी (जीवाणु रहित) समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।

10. मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा छात्रों से शिक्षण शुल्क एवं महंगाई शुल्क मिलाकर उतना मासिक शुल्क स्वीकार किया जायेगा जो अध्यापकों / कर्मचारी कल्याणकारी योजना का अंशदान वहन करने के लिए पर्याप्त हो। इसके अतिरिक्त शिक्षण शुल्क तथा महंगाई शुल्क से विद्यालय की वार्षिक आय में से वेतनभुगतान के पश्चात शुल्क आय के 20 प्रतिशत से अधिक बचत न हो। शिक्षण शुल्क में कोई वृद्धि तीनवर्ष तक नहीं की जायेगी। शुल्क में जब वृद्धि की जायेगी वह 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

11. नि शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम–2009 की धारा–12(1) सी० के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त विद्यालय 25 प्रतिशत असेवित समूह के गरीब बच्चो को नि शुल्क शिक्षा प्रदान करेगें। विद्यालयद्वारा 25 प्रतिशत शिक्षा नि शुल्क न देने पर मान्यता का प्रत्याहरण कर लिया जायेगा। जिसका समस्तउत्तरदायित्व प्रबन्धितन्त्र का होगा।

12. प्राइमरी स्तर के प्रत्येक कक्षानुभाग मे प्रति छात्र संख्या 09 वर्ग फीट की दर से स्थान उपलब्ध होना चाहिए। विद्यालय मे क्षमतानुसार उतने ही छात्र–छात्राओ का प्रवेश दिया जाये जिनके बैठने की समुचितव्यवस्था हो। खेलकूद हेतु मैदान की व्यवस्था होना आवश्यक है।

13. विद्यालय के कैचमेंट एरिया में न्यूनतम छात्र संख्या उपलब्ध हो सके। न्यूनतम छात्र संख्या होना अपेक्षित है:–

- (क) उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से 8) (03 कक्षायें)
- अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयो से यह अपेक्षित होगा कि एन०सी०ई०आर०टी० / एस०सी०ई०आर०टी० द्वारा निर्धारित अथवा बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार पठन–पाठन कराया जाये। मान्य पुस्तको के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की पुस्तक का पठन–पाठन न कराया जाये और किसी विशेष प्रकाशन की स्टेशनरी का क्रय किये जाने हेतु छात्रो पर दबाव न बनाया जाये न ही अभ्यास पुस्तिकाओ पर विद्यालयो का नाम मुद्रित कराकर क्रय हेतु बाध्य किया जाये, अन्यथा ऐसे विद्यालयो की मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।

उपरोक्त का पूर्णतया अनुपालन करना सुनिश्चित करें तथा विद्यालय प्रबन्धतन्त्र द्वारा कूटरचना/तथ्यगोपन/मान्यता की शर्तो मे उल्लंघन होने से संबंधित कोई तथ्य संज्ञान में पाया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता का प्रत्याहरण कर लिया जायेगा। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धीकरण का होगा। इसमें किसी भी प्रकार का वाद–विवाद योजित नही किया जायेगा।

(ऐश्वर्या लक्ष्मी)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
रामपुर।

पृ०सं० / जू०हा०स्कूल०मा०(अंग्रेजी माध्यम) / ——— / 2021–22 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० प्रयागराज।
2. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, रामपुर।
3. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।
4. जिला समाज कल्याण अधिकारी, रामपुर।
5. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, रामपुर।
6. जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, रामपुर।
7. वरिष्ठ खण्ड शिक्षा अधिकारी जनपद–मुख्यालय, रामपुर।
8. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद–रामपुर।
9. गार्ड पत्रावली।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
रामपुर।

NEW MANYTA